


124

289
12-6-13



C.F. Rs. 20/-

R-2480-11/13

1. दिलीप कुमार तनय ज्ञानेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
2. रहीश कुमार तनय ज्ञानेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

अधिकृत श्री मतीर कुमार
निवासी ग्राम मुर्तला कोठार, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म०प्र०)

शहीदारा पत्नी
रीवा, दि. 12.6.2013

.....आवेदकगण

बनाम

1. बेवा निशा पाण्डेय पत्नी स्व० दीपक कुमार पाण्डेय निवासी ग्राम मुर्तला कोठार तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी (म०प्र०),

हाल मुकाम - जड़िया मंदिर गुड़हाई बाजार रोड रोवा, तहसील हुजूर जिला रोवा (म०प्र०)

2. अम्बिका प्रसाद तनय रामगरीब, ग्राम मुर्तला पवाई, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म०प्र०),
3. शालिकराम तनय हरिश्चन्द्र ग्राम मुर्तला पवाई, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म०प्र०),
4. म०प्र० शासन

.....अनावेदकगण

पुनरीक्षण विरुद्ध निर्णय न्यायालय अपर कलेक्टर सीधी म०प्र० के प्रकरण क्र० 167, 168, 169 निगरनी/ 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2013

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं० 1959 ई०

मान्यवर,

पुनरीक्षण आवेदन पत्र के आधार निम्न लिखित है :-

01. यह कि उक्त पुनरीक्षण न्यायालय तहसीलदार तहसील रामपुर नैकिन के प्रकरण क्र० 34/आर-6/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2011 के

विरुद्ध संश्लिष्ट आदेश क्र० 33, 35, 36

R-2480-II/13 सी.ए.

- 2 -

26.4.17

- 1- प्रकाश पेश।
2. आवेदक के अभिभाषक द्वारा उपाणित लोकेशन आरक्षण का आवेदन पेश किया गया है कि उपाण पत्र के द्वारा रजि नाम हो गया है, जिसे अब आगे प्रकाश में बत नहीं देना चाहते हैं। अतः प्रकाश निरस्त किया जाये।
3. आवेदक अभिभाषक को समझ में सुना गया तथा प्रकाश का अवलोकन किया। चूंकि आवेदक प्रकाश आगे नहीं चलाना चाहते हैं, अतः प्रकाश रजि स्तर पर समाप्त किया जाता है।
4. अधेश की शर्त के तहत अधी. धापा. का रिकार्ड वापस हो। तत्पश्चात् प्रकाश पत्र से समाप्त होकर फा. ह. हो।

सदस्य

[कृ. प. उ.]